न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 43/2012

वादी		प्रतिवादीगण
गजा पुत्र रणछोड़ा जाति रेबारी निवासी गांग तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. मृतक मूला पुत्र रणछोड़ाजीके कायम मूकाम वारीसान– 1/1 रूपाराम 1/2 अखाराम पिसरान मूलाजी 1/3 समू 1/4 पातू पुत्रीयान मूलाजी 1/5 श्रीमती हरू पत्नि मूलाजी जातियान रेबारी साकिनान गांग तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित ।
2. प्रतिवादियागण सं0 1/1 से 1/5 के वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक 02.08.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत घोषणा खातेदारी आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा सरहद मौजा गांग तहसील रानीवाडा में वादी की कब्जा सुदा खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 261 मी. रकबा 6 बीघा स्थित है। उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में वादी गजा पुत्र रणछोडा कौम रेबारी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। द्वितीय सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान उक्त पुराने खसरा नम्बर 261/2 मी. रकबा 6बीघा से नवीन खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93 है. सृजित किये गये तथा सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने उक्त पुराने खसरा नम्बर 261/2मी. रकबा 6 बीघा से सृजित नवीन खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93हे., सृजित होना बताकर उक्त आराजी गलत एवं अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी, जबकी राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राजों में इस प्रकार बिना किसी अधिकार व सक्षम न्यायालय के आदेश के सेटलमेंन्ट कर्मचारियो व अधिकारियो को रदो बदल करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। सेटलमेंट कर्मचारियों की उक्त कार्यवाही प्रारम्भ से ही अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन होने से वादी पर बाध्यकारी नही है तथा उक्त कार्यवाही आरम्भ से ही शुन्य है। वादी उक्त पुराने खसरा 261 मी. रकबा 6 बीघा से सृजित नवीन खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93 हे. में से [illegible] अर्थात 0.96 हेक्टेयर आराजी वादी की खातेदारी की होने की वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु दावा बाबत घोषणा खातेदारी का प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पेश है।

वादी की खातेदारी आराजी पुराने खसरा नंबर 261मी. रकबा 6 बीघा से सृजित नवीन खसरा नबंर 516 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम द्वितीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारीयों व अधिकारीयों ने गलत एवं अवैध रूप से दर्ज कर दी जिसकी जानकारी वादी द्वारा दिनांक 13.06.2012 को हल्का पटवारी गांग के पास विवादीत आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

बैंक से ऋण लेने हेतु गया तक हुई। तत्पश्चात वादी के उक्त आराजी के नये व पुराने राजस्व रेकर्ड की नकल हासिल की तथा दिनांक 21.07.2012 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि मेरी खातेदारी आराजी पुराने खसरा नबंर 261मी. रकबा 6 बीधा से सेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने नवीन खसरा नबंर 516 सृजित कर तुम्हारी खातेदारी में दर्ज कर दिया है तुम आपसी सहमति से पुनः उक्त आराजी मेरे नाम से दर्ज करवा दो तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि मैने सेटलमेन्ट कर्मचारीयों से मिलावट कर उक्त आराजी मेरे नाम जानबुझ कर दर्ज करवा दी थी। अब मै उक्त आराजी तुम्हारे नाम नहीं करवाऊंगा तब वादी ने हाथाजोड़ी की, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को एलानिया धमकी दी कि तेरे करना है से कर ले मै तुझे लाठी के बल पर विवादीत आराजी से बैदखल कर दुंगा तथा मौका मिलने पर उक्त आराजी का किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान भी कर दुंगा। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से यह दावा बाबत् धोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश है।

2. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 से 2 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने इस फिकरा के माध्यमसे न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। वादी ने फिकरा संख्या 1 में अपनी पुरानी खातेदारी खसरा नबंर 261मी. रकबा 6 बीधा बनता है जबकि फिकरा संख्या 2 में वादी अपनी आराजी पुरानी खातेदारी खसरा नबंर 261/2मी. बताता है। वादी का यह तय नहीं कर पाया है कि वादी की पुरानी खातेदारी आराजी खसरा नबंर 261मी. है या 261/2 मी. है। पुराने खसरा नबंर 261मी. का मिलान क्षेत्रफल से नवीन खसरा नबंर 516 सृजित हुये है। मगर खसरा नबंर 261मी. रकबा से नवसृजित खसरा नबंर 516 का खसरा नबंर कभी स्वीकृत नहीं हुआ है। वादी की कोई भी आराजी जो वाद पत्र में वर्णित है को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता व 1/5 के पति के हक में इन्द्राज नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता व 1/5 के पति मुलाराम आपस में सगे भाई है तथा यदि सेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने कोई आराजी का इन्द्राज एक दूसरे को किया है तो वह सहमति से किया है। वादी ने दावा हाजा में इस प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिसमें वादी की सहमति प्रतित नहीं होती है। सेटलमेन्ट कर्मचारीयों व अधिकारीयों ने सहमति से इन्द्राज किया हो तो उसको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था क्योकि उक्त सहमति का हस्तान्तरण सेटलमेन्ट की परिधि में आता है। इस प्रकार का हस्तान्तरण से वादी को कोई उजर एतराज करने का हक नहीं है क्योंकि वादी की सहमति से हुआ है।

वादी की पुरानी खातेदारी आराजी खसरा नबंर 261मी. रही है तथा खसरा नबंर 261/2मी. कभी नहीं रही जबकि वादी बार बार दावे में दोनो खसरा नबंर का उल्लेख कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों का आराजी के साथ–साथ रेकर्ड में सेटलमेन्ट करने का अधिकार प्राप्त था तथा सेटलमेन्ट कर्मचारी व अधिकारी आपसी सहमति से सेटलमेन्ट कर आराजी का हस्तान्तरण कर सकते थे। यदि सेटलमेन्ट कर्मचारी ऐसा कोई कार्य वादी की सहमति के बिना करते तो वादी उक्त आराजी के बारें में उजर एतराज कर सकता था, मगर वादी की सहमति के बाद वादी अपने ऐस्टोपल (विबन्ध) के सिद्वान्त के आधार पर बाध्य हो गया है कि वादी सहमति देकर अपनी उक्त सहमति से मुकर सके। इस प्रकरण में सेटलमेन्ट के दौरान यदि कोई नुकसान हुआ है तो राजस्व आय का नुकसानी के आधार पर राजस्व आय पूर्ति हेतु उप–पंजीयक द्वारा प्रतिवादी को नोटिस दिया जा सकता है। वादी पर एस्टोपल (विबन्ध) का सिद्वान्त लागु है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता व 1/5 के पति मुलाराम ने ऐसी धमकी कभी भी नहीं दी। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/5 व उनके पूर्वज मुलाराम का 40 वर्ष से कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि कई वर्षो पूर्व से प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज है तो वादी को उक्त आराजी से बैदखल करने का प्रशन ही पैदा नहीं होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 को कतई जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना न्याय हित में आवश्यक नहीं है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पेश किया कि मौजा गांग में वादी की खसरा नम्बर 261 मी. रकबा 6 बीघा भूमि संवत 2035 से 2038 में खातेदार दर्ज है। पूराने खसरा नम्बर 261 मी. रकबा 6 बीघा अर्थात् नवीन खसरा नं. 516 रकबा 1.93 हेक्टेयर में से 6 बीघा अर्थात 0.96 हैक्टेयर भूमि आराजी वादी की खातेदारी की जमाबंदी संवत 2035 से 2038 अनुसार वादी की है परन्तु सेटमेन्ट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेंट उक्त आराजी के पूराने खसरा नम्बर 261/2 मी. रकबा 6 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 516 सृजित कर उक्त आराजी की खातेदारी मूला पुत्र रणछोडा (प्रतिवादी) के नाम कर दी गई। मौजा गांग के पूराने खसरा नम्बर 261 मी.

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 6 बीघा जमाबंदी संवत 2035 से 2038 अनुसार वादी की खातेदारी की है। जो उक्त जमाबंदी अनुसार सहकारी भूमि विकास शाखा रानीवाडा के नाम ऋण लेने रहन भी दर्ज है तथा द्वितिय सेटलेन्ट की मिसल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93 हैक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर भूमि जालोर सहकारी भूमि विकास शाखा रानीवाडा के नाम रहन दर्ज है जिससे साबित है कि पूराने खसरा नम्बर 261 मी. रकबा 6 बीघा से नवीन खसरा नम्बर 516 सृजित किया गया है। जो रेकर्ड वादी ने दावे के साथ पेश किये हुए है।

4. वादीगण ने प्रतिवादीगण के जवाबदावा के संदर्भ में जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजी की जमाबंदी संवत 2035/2038 में दर्ज इन्द्राजों से वादी की खातेदारी की पुराने खसरा नबंर 261मी. रकबा 6 बीघा स्पष्ट है। उक्त आराजी वादी को उसके पिता रणछोड़ा ने जरिये पंजीबद्व दस्तावेज बंटवाड़ा दिनांक 12.05.1972 के पुराने खसरा नबंर 261 रकबा 26 बीधा 18 बिस्वा में से बंट में दी थी तथा वादी की उक्त आराजी जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा रानीवाडा के नाम रहन दर्ज थी तथा द्वितिय सेटलमेन्ट के दौरान उक्त पुराने खसरा नबंर 261/2 मीन से सृजित नवीन खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर आराजी में से द्वितीय सेटलमेन्ट की मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 से 2065 अनुसार 0.96 हैक्टर आराजी जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा रानीवाड़ा के नाम रहन दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि वादी की आराजी पुराने खसरा नबंर 261मीन रकबा 6 बीधा को द्वितीय सेटलमेंट के दौरान 261/2 मीन रकबा 6 बीधा बताकर नवीन खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर सृजित करना बताया है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट के दौरान वादी की उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बिना किसी अधिकार के सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज की है। यहाँ यह वर्णित किया जाना भी उचित होगाा कि द्वितीय सेटलमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों को आपसी सहमति से भी राजस्व रेकर्ड में हैराफैरी करने का अधिकार हासिल नहीं था, हालांकि वादी ने उक्त आराजी प्रतिवादी मुला के नाम दर्ज करने बाबत् कोई सहमति कभी नहीं दी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कोई सेलटमेंट नहीं किया। सेटलमेंट कर्मचारियों ने वादी की आराजी पुराने खसरा नबंर 261 मीन को 261/2 मीन बताकर नवीन खसरा नबंर 516 सृजित किया है। जिसके लिये वादी को कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तथा सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों को रेकर्ड में सेटलमेंट (समझौता) के आधार पर भी हैराफैरी का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा वादी की आराजी बाबत् न तो कोई पंजीबद्व दस्तावेज निष्पादीत हुआ है तथा नही किसी न्यायालय का कोई आदेश पारीत किया गया है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा वादी की आराजी को प्रतिवादी मूला के नाम दर्ज करने की कार्यवाही अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन होने से शुन्य है तथा ऐसी कार्यवाही को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। वादी पर एस्टोपल का सिद्वान्त लागु नहीं होता है। वादी का वाद पत्र का फिकरा संख्या 3 सही है। वादी की आराजी पर प्रतिवादी मूला का कोई कब्जा नहीं है।

5. वादी ने अपने साक्ष्य सबूत में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया।
6. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा व वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब उल जवाब एवं प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गयी।

7. वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यु–1 गजा पुत्र रणछोडाजी कौम रेबारी निवासी गांग तहसील रानीवाडा का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें वाद के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दोहराया गया तथा दावे के साथ दस्तावेज बंटवाडा दिनांक 12.05.1972 पेश किया जो प्रदर्श 1 है। मौजा गांग की संवत 2035 से 38 खसरा नम्बर 261 मी. की जमाबंदी प्रदर्श 2 है, मौजा गांग के द्वितीय सेटलमेन्ट की मिसल बन्दोबस्त खसरा नम्बर 516 जो प्रदर्श–3 है, मौजा गांग का मिलान क्षेत्रफल जो प्रदर्श 4 है, मौजा गांग की संवत 2066–69 खसरा नम्बर 516 की जमाबंदी जो प्रदर्श 5 है व नक्शा ट्रेस मौजा गांग के खसरा नम्बर 516 का पेश किया जो प्रदर्श 6 है। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि नवीन खसरा [illegible] खसरा नम्बर 261 मी. व 216/2 मी. में से खसरा नम्बर 261 मी. में से खातेदारी मांगी [illegible] बात की मुझे जानकारी नही है कि नव सृजित खसरा नम्बर 516 में पूराने [illegible] नम्बर 261 [illegible] के अलावा दुसरा पूराना खसरा नम्बर कौनसा शामिल हुआ। द्वितीय सेट[illegible] ज्ञान लेने हेतु गया तो मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरी 6 [illegible] के हिस्से में चली गई है। यह कहना सही है कि पौन 27 बीघा जमीन एक चक में व बंटवाडा किया हुआ है। यह कहना गलत है कि मेने सेटलमेन्ट कर्मचारियों के रूबरू होकर सहमति से मेरे भाई को 6 बीघा की आराजी को सुपुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2024-08.06 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

की हो तथा उसके बाद मेरे भाई के हक में म्यूटेशन का इन्द्राज हुआ हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा लिया गया ऋण मेरे भाई मूला ने भरा हो तथा उसके बाद सहमति से मेने मेरे भाई के हक में खातेदारी का इन्द्राज करवाया हो। यह कहना गलत है कि मेरे मन में खोट पैदा होने के कारण तथा जमीन का बाजार मूल्य बढ जाने के कारण मैने यह दावा पेश किया हो।

8. प्रतिवादीगण को ओर से कोई गवाह अखाराम पुत्र मूलाजी, रगाराम पुत्र मकनाजी ,हरलाल पुत्र रणछोड़ा जी जातियान रेबारी निवासी गांग का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया व साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब दावों के तथ्य का दोहरान किया गया। तथा प्रतिपरिक्षण में अखाराम द्वारा व्यक्त किया कि यह कहना सही है मेने मेरे जवाब दावा व साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया है। यह कहना सही है कि विवादीत आराजी पर हमारा 40 वर्षो से कब्जा काश्त हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। यह कहना गलत है कि मै वादी के बंट की उक्त आराजी हड़प करने के लिए आज झूठे ब्यान दे रहा हुं।

प्रतिवादी गवाह 2 रगाराम पुत्र मकनाजी द्वारा प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि अखाराम की जमीन के खसरा नम्बर मुझे पता नही है। यह कहना गलत है कि मुझे मेरी जमीन के खसरा नम्बर पता नही हो। अजखूद ने कहा कि मेरी जमीन के खसरा नम्बर 512 है। यह सही है कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर 40 वर्ष पूराना कब्जा हो इस बाबत कोई दस्तावेज सबूत पेश नही किया है। उक्त आराजी हमारे शामलाती नही थी। वादी गजाराम व मेरे दो वर्ष से बोलचाल नहीं है। यह कहना गलत है कि वादी व हमारे आपस में बोलचाल नही होने से तथा वादी की जमीन हडप करने के लिए में आज जूठा ब्यान दे रहा हुं।

प्रतिवादी गवाह 3 द्वारा प्रतीपरीक्षण में व्यक्त किया कि मुझे प्रतिवादी अखाराम के खेत के खसरा नम्बर याद नहीं है। मुझे वादी गजाराम के बंट के खेत के खसरा नम्बर भी पता नही है। यह कहना गलत है कि मै और वादी गजाराम के आपस के आपस में बोलचाल नही हो। यह कहना सहीं है कि प्रतिवादी अखाराम के कब्जे के समर्थन में मैने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। यह कहना गलत है कि वादी से मेरी अनबन होने के कारण आज झूठे ब्यान दे रहा हूं।

9. हमने पत्रावली का भलीभांति अध्ययन किया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तथ्य पर मनन किया अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।–

तनकी संख्या 1

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 261/2 मी रकबा 6 बीधा से सृजित नवीन खसरा नबंर संख्या 516 रकबा 1.93 हैक्टर मे से 0.96 हैक्टर आराजी वादी की खातेदारी होने के संबंध में प्रस्तुत प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2035–2038 खाता संख्या 23 में खसरा संख्या 261 मी. रकबा 6 बीधा की दर्ज है। उक्त आराजी नवीन खसरा संख्या 516 रकबा 1.93 हैक्टर में वादी की उक्त आराजी प्रदर्श–3 के अनुसार 0.96 हैक्टर प्रतिवादी मुला के खाते में द्वितीय सेटलमेन्ट में शामिल कर दी गई है। जिसके संबंध में वादी द्वारा उनके पिता रणछोडा पुत्र लखा रबारी साकिन गांग द्वारा इनके पुत्रों के बीच बंटवाडा करने का उप–पंजीयक रानीवाडा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.05.1972 प्रदर्श–1ए के अनुसार प्रतिवादी मुला को 20 बीधा 18 विस्वा आराजी बंट में दी गई एवं वादी को भी इतनी ही आराजी इसी बंटवाडा में दी गई है परन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट में भु–प्रबंध अधिकारी द्वारा प्रदर्श–3 के अनुसार नवीन खसरा संख्या 516 में 0.96 हैक्टर आराजी अधिक दर्ज करना रेकर्ड से साबित होता है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार द्वितीय सेटलमेन्ट में उक्तानुसार त्रुटि साबित होने से यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

प्रतिवादी मुला के कायम [illegible] 1/5 द्वारा वादी की सहमति देने के आधार पर रिसेटलमेन्ट के दौरान 6 बीधा खातेद[illegible] में [illegible] की गई है। इसलिये वादी स्टोपल के सिद्धान्त के अनुसार अपने आचरण [illegible] कथ[illegible] नही कर सकता इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा रिसेटलमेन्ट में वादी द्वारा 6 [illegible] मुला के पक्ष दर्ज करने की सहमति में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल [illegible] वाद के जवाबदावा व प्रतिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र अखाराम पुत्र मुला का दिनांक 23.1.2020 को प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया कि मैने मेरे जवाबदावा व साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबुत पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:22 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया है। यह कहना सही है कि विवादित आराजी पर हमारा 40 वर्षो से कब्जा काश्त हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। गवाह हरलाल पुत्र रणछोडाजी ने साक्ष्य शपथ पत्र के प्रतिपरीक्षण दिनांक 4.3.2020 को वादी अधिवक्ता द्वारा किया गया। जिसमें कथन किया कि प्रतिवादी अखाराम के भाड़े से रानीवाडा आया हुँ। मुझे अखाराम के खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। मुझे वादी गजाराम के बंट के खेत के खसरा नबंर भी पता नहीं है। यह कहना सही है कि दस्तावेज पेश नहीं किया । गवाह रगाराम पुत्र मकनाजी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र के प्रतिपरीक्षण दिनांक 27.2.2020 में गवाह अखाराम पुत्र मुला के कथनों को ही दोहराया गया है।

वादी गजाराम के द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र में प्रतिपरीक्षण में दिनांक 22.1.2019 में व्यक्त किया कि यह कहना गलत है कि मैने सेटलमेन्ट कर्मचारियों के रूबरू होकर से मेरे भाई को 6 बीधा की आराजी को सुपुर्द की हो तथा उसके बाद मेरे भाई के हक में म्युटेशन का इन्द्राज हुआ है। मैने प्रदर्श 2 के दस्तावेज में अंकित दिनांक 10.5.1980 का ऋण मेने 7–8 वर्षो से भरा था।''

उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात एवं गवाहान के प्रतिपरीक्षण से साबित होता है कि वादी की बिना किसी प्रकार की सहमति से सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने प्रतिवादी मुला के खाते में 6 बीधा ज्यादा आराजी दर्ज की है, जो प्रदर्श 1 दस्तावेज बंटवाडा दिनांक 12.7.1972 से वादी के पक्ष में साबित है। अतः प्रतिवादी का कथन वादी की सहमति से सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा मुला के पक्ष में 6 बीधा दर्ज कराने का साबित कराने में प्रतिवादी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4

वादी द्वारा विनायवाद पैदा होने के संबंध में जवाब उल जवाब में बिन्दु संख्या 4 जवाब दावा का फिकरा संख्या 4 गलत है तथा वाद का फिकरा संख्या 4 सही है। इस संबंध में वादी जवाब उल जवाब में बिन्दु संख्या 3 में व्यक्त किया है कि जबकि आपसी समझौता से बंटवाडा का दस्तावेज पंजीकृत होने तथा उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजुद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश डिक्री या आपसी सहमति के अभाव में सेटलमेन्ट अधिकारीयों को किसी की भी खातेदारी के रकबा में हैराफेरी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस प्रकरण अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही होने से शुन्य प्रभावी है तथा ऐसी कार्यवाही को कभी भी चैलेन्ज भी किया जा सकता है। अतः इस संबंध में कोई कानुनी आधार या आपत्ति के संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5

वादी द्वारा वाद के साथ जमाबंदी प्रदर्श 2 प्रस्तुत की है जिससे खसरा संख्या 261 मी. रकबा 6 बीधा वादी की खातेदारी में दर्ज है तथा वादी द्वारा उक्त आराजी पर ऋण जालोर सहकारी भुमि विकास बैक लिमिटेड शाखा रानीवाडा लिया गया था कि जिसका ना. क. संख्या 960 दिनांक 10.05.1980 रहन का अंकन लाल स्याही से अंकित है। उक्त आराजी का द्वितीय सेटलमेन्ट में नया खसरा संख्या 516 रकबा 1.93 हैक्टर का सृजित किया गया। प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 516 रकबा 1.93 हैक्टर खसरा संख्या 261/2 मी. रकबा 6 बीधा से नहीं बना है। चुकि नवीन खसरा संख्या 516 रकबा 6 बीधा से नहीं बना है। इस खसरे में पुराने खसरा नबंर का रकबा सम्मिलित है। जिससें खसरा संख्या 0.96 हैक्टर वादी के हिस्से प्रदर्श–2 के अनुसार कम करना उपर्युक्त कारण है। आराजी कम करने पर बंटवाडा दस्तावेज प्रदर्श–1 व खतौनी बन्दौस्त खाता संख्या 181, के खसरा नबंर 515 रकबा 2.35 हैक्टर व खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर में से 0.96 हैक्टर कम करने पर 3.32 हैक्टर शेष रहती है, जो उक्त बंटवाड़ा दस्तावेज प्रदर्श–1 के अनुसार हिस्से में 20 बीधा 18 विस्वा से रकबा कम नहीं होता है प्रदर्श–3 इस संबंध प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा ने भी जवाबदावा में फिकरा संख्या 2 व 9 में अंकित किया है, कि मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 261 मी. रकबा 6 बीधा जमाबंदी संवत् 2035–38 अनुसार वादी की खातेदारी की है जो उक्त जमाबंदी अनुसार सहमति भूमि विकास शाखा रानीवाडा के नाम ऋण लेने से रहन भी दर्ज तथा द्वितीय सेटलमेन्ट की मिसल के अनुसार नवीन खसरा संख्या 516 रकबा 1.93 हैक्टर में से भी 0.96 हैक्टर भूमि जालोर सहकारी भूमि विकास शाखा रानीवाडा [illegible] है। जिससे साबित है कि पूराने खसरा नबंर 261 मी. रकबा 6 बीधा से नवीन खसरा नबंर [illegible] सृजित किया गया। इस प्रकार भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी पूराने खसरा नबंर 261 मी. से नवीन खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर सृजित में 0.96 हैक्टर वादी की आराजी प्रदर्श–2 के अनुसार वादी की खातेदारी साबित होती है। प्रतिवादी पक्ष खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर में खसरा नबंर 261 मी. पुराने खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 18:10:22 IST
Reason: Self Attested

नबंर की आराजी सम्मिलित नहीं होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

10. उपर्युक्त तनकी विवेचन व विश्लेषण करने पर सभी तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित हुई है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार करते हुऐ खसरा नबंर 516 रकबा 0.96 हैक्टर की खातेदारी घोषणा वादी के नाम धोषित किया जाना न्यायचित है।

—: आदेश :—

11. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेशन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 261 मी.रकबा 6 बीधा की आराजी नवीन खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर में 0.96 हैक्टर आराजी वादी गजा पुत्र रणछोडा जाति रबारी निवासी गांग की खातेदारी आराजी का खातेदार धोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी की डिक्री पर्चा जारी कराने का आदेश पारित किया जाता है। वादी की घोषित खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93 हेक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मूकाम 1/1 से 1/5 वादी के कब्जे काश्त करने में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करेगें और नही किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी कि जाती है। इस आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति मय डिक्री पर्चा की प्रति भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 13:10:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
गजा पुत्र रणछोड़ा जाति रेबारी निवासी गांग तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. मृतक मूला पुत्र रणछोड़ाजीके कायम मूकाम वारीसान– 1/1 रूपाराम 1/2 अखाराम पिसरान मूलाजी 1/3 समू 1/4 पातू पुत्रीयान मूलाजी 1/5 श्रीमती हरू पत्नि मूलाजी जातियान रेबारी साकिनान गांग तहसील रानीवाडा जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 43/2012

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा गांग के पुराने खसरा नबंर 261 मी.रकबा 6 बीधा की आराजी नवीन खसरा नबंर 516 रकबा 1.93 हैक्टर में 0.96 हैक्टर आराजी वादी गजा पुत्र रणछोडा जाति रबारी निवासी गांग की खातेदारी आराजी का खातेदार धोषित किया जाता है । वादी की घोषित खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 516 रकबा 1.93 हेक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मूकाम 1/1 से 1/5 वादी के कब्जे काश्त करने में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करेगें और नही किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी कि जाती है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02.08.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	1	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.08.06 19:10:22 IST
Reason: SelfAttested